

FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)

1. **District:** STATE VIG. BUREAU **PS:** SVB ROHTAK **Year:** 2013 **FIR No:** 12 **Date:** 29-06-13

2. **Act(s):** **Section(s)**
(i) PREVENTION OF CORRUPTION ACT 1988 7 (ii)
(iii)
(iv)

3. **Occurrence of Offence:**
(a) **Day:** Saturday **Date From:** 29-06-2013 **Date To:** : 29-06-2013
Time Period: **Time From:** **Time To:** 3-10 P.M
(b) **Information received at P.S: Date:** : 29-6-2013 **Time:** 5-30 P.M
(c) **General Diary Reference:** **Entry No.:** 07 **Time:** 5-30 P.M

4. **Type of Information:** WRITTEN

5. **Place of Occurrence:**

(a) **Direction and Distance from P.S.:** North 60 K.M. **Beat No.:**

(b) **Address :** SVB, unit Sonipat

(c) **In case, Outside the limit of the Police Station:**

Name of P.S: SVB ROHTAK

District: Rohtak

6. **Complainant/Informant:**

(a) **Name:** Vivek Gupta s/o Surender Kumar Gupta

(b) **Birth year:** **Nationality:** INDIAN

(c) **Passport No.** **Date of issue:** **Place of Issue:**

(d) **Occupation:** Haryana Police

(e) **Address:** R/o H.No.1449/27, 30 Feet Road Durga puri, Delhi

7. **Details of known/Suspect/Unknown accused with full particulars(attach separate sheet if necessary):**

1. Balwan Singh(labor officer) Sonipat

2. Ashok Kumar Inspector

8. **Reason for delay in reporting by the complainant/informant:**

9. **Particulars of the properties stolen/involved(attach separate sheet if necessary):**

Sl.No.	Property Type(Description)	Est. Value(Rs.)	Status
--------	----------------------------	-----------------	--------

(i)

(ii)

(iii)

10. Total value of property stolen:

11. Inquest Report/U.D Case No., if any

12. F.I.R Contents (attach separate sheet, if required):

सेवा में, श्रीमान विजिलैन्स इन्सपैक्टर, सोनीपत, निवेदन यह है कि मैं विवेक गुप्ता पुत्र श्री सुरेन्द्र कुमार गुप्ता मकान न० 1449/27, 30 फूटा रोड, दुर्गा पुरी दिल्ली का स्थाई निवासी हूं। मेरी फैक्टरी मैसर्स रेलिमेक टेक्नोलोजी, प्लाट न०-92 फेस-4 सैक्टर-56, कुण्डली जिला सोनीपत लगभग 1½ साल से है। मेरी कम्पनी में लगभग 60 मजदूर काम करते हैं। मेरी कम्पनी में श्री बलवान सिंह (लेबर अफसर) व श्री अशोक कुमार (इन्सपैक्टर) कार्यालय श्रम विभाग ओल्ड डी०सी० रोड, सोनीपत, दिनांक 19-6-13 को आये थे। कम्पनी का निरीक्षण किया था और इससे पहले मेरे को नोटिस(कम्पनी के निरीक्षक के लिये) दिया था। दिनांक 19-6-13 को निरीक्षण के बाद मुझे बताया कि आपका रिकार्ड पुरा नहीं है और अपना रिकार्ड पुरा कर लो, हम दिनांक 25-6-13 को दोबारा निरीक्षण करेंगे। इसके बाद दिनांक 29-6-13 को लेबर निरीक्षक अशोक कुमार मेरी कम्पनी में आया और कहा कि आपका रिकार्ड पुरा नहीं है और आप हमें रुपये 15,000/- बतौर रि वत लेबर अफसर और मेरे नाम के दे दो। हम रिकार्ड का निरीक्षण ठीक मान कर रिपोर्ट कर देंगे। अगर आप हमें रुपये 15,000/- की रि वत की राशि नहीं दोगें तो हम आपकी कम्पनी का चालान कर देंगे। फिन मैंने चालान के डर के मारे रुपये 10,000/- रि वत निरीक्षक अशोक कुमार को दे दिये। लेकिन अशोक कुमार ने कहा कि यह रि वत राशि हम दोनों के लिये कम है बाकि रुपये 5,000/- लेकर अफसर बलवान सिंह को देकर अपनी निरीक्षण बुक ले लेना। अब बलवान सिंह रुपये 5000/- रि वत की मांग कर रहा है। मैं यह रि वत की राशि रुपये 5000/- नहीं देना चाहता। कृपया करके लेबर अफसर बलवान सिंह व निरीक्षक अशोक कुमार के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाये ताकि भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जा सके और हमारे जैसे उद्योगपति को भोशण से बचाया जा सके। हस्ता अंग्रेजी विवेक गुप्ता पुत्र स्व० श्री एस०के० गुप्ता 1449/27, 30 फीट रोड, दुर्गा पुरी दिल्ली-93, फोन 9899259900 कार्यवाही पुलिस:- आज मन निरीक्षक मय स्टाफ उ०नि० दरियाव सिंह, स०उ०नि० पवन कुमार, स०उ०नि० मैनपाल, प्र०सि० रोहित कुमार 1068/फरीदाबाद, सि० अमित कुमार 2070/रोहतक व सि० नेत्रपाल 179/रोहतक हाजिर कार्यालय एस०वी०बी०सोनीपत हूं कि मुदई श्री विवेक गुप्ता उपरोक्त ने हाजिर कार्यालय आकर एक उपरोक्त दरखास्त बाबत मांगने रि वत पे रकी। जो मजबुन दरखास्त बाला से सुरत जुर्म जेरधारा 7 पी०सी०एक्ट का होना पाया जाता है। अतः तहरीर हजा बराये कायमी मुकदमा बदस्त सि० अमित कुमार 2070/रोहतक के थाना भेजी जा रही है। बाद कायमी मुकदमा नम्बर पर्चा से सूचित किया जाये तथा स्पे राल रिपोर्ट बदस्त स्पे राल सिपाही ईलाका मैजिस्ट्रेट साहब व अफसरान बाला की सेवा में भिजवाई

जावे और मन नि० मय स्टाफ के म तरुफ तफती ा होता हू। हस्ता अंग्रेजी रोहता ा कंवर निरीक्षक, रा०चौ०ब्यूरो, सोनीपत दि० 29-6-13 एट 3-10 पी०एम०, अज कार्यालय रा०चौ०ब्यूरो, सोनीपत । अज थाना:- आमदा तहरीर पर मुकदमा बाजुर्म दर्ज रजिस्टर करके नकल एफ०आई०आर० तैयार की गई जो अफसरान बाला की सेवा मे भिजवाई जा रही है। स्पे ाल रिपोर्ट आरिन्दा सि० अमित कुमार 2070 / रोहतक द्वारा ईलाका मैजिस्ट्रेट, साहब सोनीपत भेजी गई नकल मि ाल पुलिस मय असल तहरीर मौका पर आई०ओ० साहब के पास भेजी गई।

Action Taken (Since the above information reveals commission of offence(s)u/s as mentioned at item No.2:

- (i) Registered the case and took up the investigation
(ii) Directed(Name of the I.O.): Rohtash Kanwar

OR

No.: HAP/1

Rank: Insp.
to take up the investigation,OR

- (iii) Refused investigation due to:

OR

- (iv) Transferred to P.S.(name):
On point of jurisdiction:

District:

F.I.R. read over to the complainant/informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant, free of cost:

R.O.A.C.:

14.

Signature/Thumb Impression
Of The Complainant/Informant:

Signature of Officer
Name: Kartar Singh
Rank: Insp. No. 14/HAP

15 Date and Time of despatch to the court:

बदस्त सि० अमित कुमार 2070 /रोहतक